(62)

# न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

**समक्ष–एम0के0सिंह**
**सदस्य**

निगरानी प्रकरण कमांक 330–दो/86 विरूद्ध आदेश दिनांक 4.8.86 पारित द्वारा अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना प्रकरण कमांक 20/अपील/1983–84.

श्रीराम पुत्र लदूरी जाति कुम्हार
पुरानी वस्ती तहसील व जिला
भिण्ड म0प्र0

--- आवेदक

विरूद्ध

1– गंगा 2– सुगंधा
3–सुज्जो 4– रमा पुत्रियां
लदूरी समस्त निवासीगण
पुरानी वस्ती तहसील व
जिला भिण्ड म0प्र0

--- अनावेदिकागण

आवेदक अधिवक्ता श्री एस0के0 अवस्थी
अनावेदकगण एक पक्षीय है।

:: आ दे श ::

( आज दिनांक 21 – 4 –2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण कमांक 20/अपील/1983–84 में पारित आदेश दिनांक 4.6. 1986 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2–प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि कस्वा भिण्ड में स्थित आराजी कमांक 3213 रकवा 0.326 है0, 3257 रकवा 0. 324 है0, 3259/1 रकवा 0.251 है0 कुल किता 3 कुल रकवा 0.941 है0 के भूमिस्वामी लटूरी पुत्र मुन्ना जाति कुम्हार निवासी पुरानी बस्ती भिण्ड थे, जिनकी मृत्यु हो जाने के कारण राजस्व निरीक्षक द्वारा नामान्तरण पंजी कमांक–2 में दर्ज प्रविष्टि प्रमाणीकरण दिनांक 8.2.83 से मृतक लटूरी के स्थान पर उसके वारिसान निगरानीकर्ता एवं गैर निगरानीकर्तागण के नाम किया गया। निगरानीकर्ता द्वारा राजस्व निरीक्षक द्वारा किये गये नामान्तरण प्रमाणीकरण के विरूद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड के समक्ष वसीयतनामे के आधार पर प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 13/अपील/82–83 पर दर्ज करते हुये आदेश दिनांक 23.11.1983 से अपील निरस्त की गयी। निगरानीकर्ता द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त चंबल संभाग के न्यायालय में पेश की गयी, जो प्रकरण कमांक 20/अपील/83–84 अपील पर दर्ज हुई। अपर आयुक्त द्वारा आदेश दिनांक 4.6.86 से द्वितीय अपील निरस्त की गई। उक्त आदेश से परिवेदित होकर निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है ।

3– निगरानी मेमो में लिखे गये तथ्यों के संबंध में उभपक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागणों के तर्क सुने गये तथा अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का परिशीलन किया गया।

4–निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क में यह बताया है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा नामान्तरण प्रमाणित करने से पहिले न तो विधिवत इश्तहार जारी किया गया और न ही निगरानीकर्ता के पक्ष में बसीयत होते हुये उसे व्यक्ति गत सूचना जारी की गयी । इस प्रकार नामांतरण की कार्यवाही प्रारंभ से ही शून्य एवं निष्प्रभावी होने के कारण निरस्ती योग्य थी, किन्तु अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा तथ्यों पर बिना विचार किये आदेश पारित किये हैं। नामान्तरण पंजी के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा मृतक लदूरी के फौत हो जाने के बाद प्रश्नाधीन पर उसके वैद्य वारिसान के नाम समान भाग पर नामांतरण किया गया है। वैद्य वारिसों में निगरानीकर्ता का भी नाम शामिल है। इसके अलावा यदि निगरानीकर्ता के हक में मृतक लदूरी द्वारा बसीयतनामा सम्पादित किया गया था, तो निगरानीकर्ता को उसी समय बसीयतनामे के आधार पर नामान्तरण कराने के लिये आवेदन पत्र विचारण न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहिये था। निगरानीकर्ता द्वारा अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गयी उस समय वह बसीयतनामे को सामने लाया। अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड के न्यायालय से प्रयकरण पत्रिका के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि निगरानीकर्ता द्वारा अपील मेमो के साथ बसीयतनामे की मूल

प्रति प्रस्तुत नहीं की गयी । अनुविभागयी अधिकारी द्वारा निगरानीकर्ता से निरंतर बसीयतनामा प्रस्तुत किये जाने के संबंध में आदेश किये जाते रहे हैं, किन्तु निगरानीकर्ता द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रकरण में 12 पेशियां निकल जाने के बाद दिनांक 3.10.83 को बसीयतनामे की छाया प्रति प्रस्तुत की गयी, जबकि न्याय का यह सिद्धांत है कि छाया प्रति साक्ष्य में ग्राह्य नहीं मानी गयी है । जहां तक इश्तहार जारी न करने का प्रश्न है, इस संबंध में नामान्तरण पंजी के अवलोकन से यह प्रकट है कि नामांतरण प्रमाणित करने से पहिले इश्तहार का प्रकाशन किया गया है, नामांतरण पंजी में इश्तहार जारी करने का उल्लेख किया गया है, यह भी उल्लेख किया गया है कि कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

5– आवेदक के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह भी बताया है कि निगरानीकर्ता द्वारा बसीयतनामे के आधार पर नामान्तरण किये जाने बावत आवेदन पत्र तथा बसीयतनामा दे दिया गया था। ऐसी स्थिति में नामान्तरण विवादित होने के कारण राजस्व निरीक्षक को नामान्तरण करने की अधिकारिता नहीं है । अभिलेख का अवलोकन करने से आवेदक द्वारा किये गये इस तर्क को बल प्राप्त नहीं है । आवेदक द्वारा इस अभिवचन के संबंध में प्रकरण में ऐसा एक भी प्रमाण अथवा आधार प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे उसके द्वारा किये गये अभिवचन को बल मिलता हो। किस पटवारी को आवेदन पत्र व बसीयतनामा दिया गया, उसका कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक द्वारा किये गये नामान्तरण, अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड एवं अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत होने से उनको हस्तक्षेप किये जाने का कोई आधार नहीं है, उपरोक्त आदेश यथावत रखे जाते हैं और प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने के कारण निरस्त की जाती है ।

एम0 के0 सिंह
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर